



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रारूप-अ

GL 115486

15/09/2023
 हैम कि डा० विरंज किशोर एवं बोधपाल सिंह सहित श्री सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय ग्राम रामपुर पो० सुनपहर तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ शासकीय शिक्षण विभाग बयान करता है कि -


- 1- यह कि हमारी सोसाइटी श्री सिद्धबाबा फार्मैसी कालेज ग्राम रामपुर पो० सुनपहर तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- 2- यह कि हमारी सोसाइटी श्री सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय ग्राम रामपुर पो० सुनपहर तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में गाटा सं. 161 एवं रकबा कमरा: 2.4152 एवं है० कुल रकबा है 1.4152 है० भूमि है।
- 3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार को कोई भी वाद किसी न्यायालय से नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
- 4- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं. 161 एवं रकबा कमरा: 2.4152 एवं है० कुल रकबा 1.4152 है० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.04.2022 द्वारा पारित किया गया है।
- 5- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रवर्तित डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित अर्शों के अनुसार किया गया है।
- 6- यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं विधरित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7- यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।




15/09/2023

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
 9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
 10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
 11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
 12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी के रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, अशुद्ध अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून निर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।




ह० सचिव


ह० अध्यक्ष